खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0005 / 2017

1. S.S.G. Pharma Pvt. Ltd. (Food Division) having it's registered office 17/2, 2nd Floor, Sachdeva Corporate Tower, Community Centre, Karkardooma, Delhi-110092. Through its A.R. Sh. J.P. Sharma.
2. S.S.G. Pharma Pvt. Ltd. (Food Division) having it's factory C-18/1, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghazibaad, U.P.
3. Sawai Singh, S/o Roop Singh Rajpurohit, Prop. Of Om Shree Jodharna Restaurant Manasar Chouraha, Nagaur.
4. Deepak Aggarwal, S/o Sh. Om Prakash, Prop. Of M/s Bansal Agency, 1/73, Vyas Colony, Nagaur.
5. Prakash Aggarwal, S/o Sh. Madan Lal, ¾, Singhal Bhawan, Khetri House, Chandpol ke Bahar, Jaipur.

…Appellants

Versus

1- The State of Rajasthan, through the Commissioner, Food Safety, Jaipur, Rajasthan.
2- Anil Kumar Sharma, Food Safety Officer, designated cum Chief Medical & Health Officer, Nagour (Rajasthan).

…..**Respondents**

उपस्थितः–

1. श्री बी.एल. गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 09.07.2018**

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, नागौर के आदेश दिनांक 27.12.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 09 / 2016 सरकार बनाम सवाई सिंह वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर कुल 2,00,000रूपये (अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि अपीलार्थी ओम श्री जोधाणा स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट मानासर, नागौर में खाद्य पदार्थ का विक्रेता है जो सतमोला ब्राण्ड की सोन पपड़ी भी विक्रय कर रहा है। दिनांक 14.10.2014 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा ओम श्री जोधाणा स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट मानासर, नागौर के यहां से उक्त सोन पपड़ी सतमोला ब्राण्ड जो गत्ते की पैकिंग में सीलबंद था, मिलावट का शक होने पर जांच के लिए खरीद किया। बाद जांच इस आधार पर अभियोजित किया कि सोन पपड़ी निर्धारित मानक की नहीं है। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत किया गया और बाद सुनवाई आलौच्य आदेश पारित किया गया।

3. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थीगण को शास्ति से दण्डित नहीं किया जा सकता, अधिकतम अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार करने का नोटिस दिया जा सकता है। खाद्य पदार्थ के तत्वों में कोई कमी नहीं है।

4. अपील में यह भी तर्क लिया गया है कि खाद्य पदार्थ में कोई कमी नहीं थी। खाद्य पदार्थ एक सील्ड पेकिट में विक्रित किया जा रहा था। पैकिंग के रैपर पर समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की गई थी। पैकिंग के अन्दर के भाग पर सूचनाएं प्रदर्शित करने का कोई प्रावधान विधि के अन्तर्गत नहीं है।

5. प्रत्यर्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि आलौच्य आदेश विधिसम्मत है।

6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

7. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण ने अपील में लिए गए तर्को की पुनरावृति की जबकि प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

8. अवधार्य बिन्दु :––

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, नागौर ने सोन पपड़ी को मिसब्राण्ड मानने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

9. विनिश्चयः–– अपीलार्थीगण के हक में तय किया जाता है।

10. विनिश्चय के कारणः––

11. खाद्य पदार्थ के तत्वों में कोई कमी नहीं थी, केवल मात्र कमी जो बताई गई है वह यह कि The Food Safety and Standards (Packaging and Lebelling) Regulations,2011 (जिसे बाद में विनियम 2011 लिखा जायेगा) के नियम 2.2.1 (4) एवं 2.3.1 (4) का उल्लंघन किया गया है। विनियम 2011 का नियम 2.2.1 (4) इसप्रकार हैः–

"Label in pre-packaged foods shall be applied in such a manner that they will not become separated from the container."

12. हस्तगत प्रकरण में यह नहीं बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो उल्लंघन करना बताया गया है वह यह है किः––

"Sample is in a sealed and intact original company packed duplex box having plastic tray off 500gm. The tray is sealed with poly aluminums foil printed on foil Satmola and other information's like batch no., Date of manufacture, address are absent. Contravention of Regulations No. 2.2.1(4), 2.3.1(4) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011."

13. इसके अनुसार पैकिंग के लिए जो ट्रे इस्तेमाल की गई थी उस ट्रे पर कोई सूचना छपी हुई नहीं थी परन्तु ऐसा विधि का कोई प्रावधान नहीं है। ट्रे पैकिंग का अन्दरूनी हिस्सा है, ट्रे में खाद्य पदार्थ विक्रित नहीं किया गया है। खाद्य पदार्थ स्वीकृत रूप से एक पैकेट में है जो पूर्णतया चारों तरफ से सील है और पैकेट के उपरी भाग पर समस्त आवश्यक सूचनाएं मुद्रित की गई है, न कि अलग से चिपकाई गई है। अतः इस स्थिति में नियम 2.2.1(4) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

14. विनियम 2011 का नियम–"2.3.1(4) इस प्रकार है किः––

" Where a package is provided with an outside container or

wrapper, such container or wrapper shall also contain all the declarations which are required to appear on the package except where such container or wrapper itself is transparent and the declarations on the package are easily readable through such outside container or wrapper."

15. उक्त प्रावधान पढने मात्र से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस नियम का भी उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद कतई न्यायसंगत नहीं था। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 09/2016 सरकार बनाम सवाई सिंह वगैरा में जोकि न्याय निर्णायक अधिकारी, नागौर द्वारा पारित किया गया को अपास्त किया जाता है। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर